भारतीय संवधान की आठवीं अनुसूची

प्रलिम्सि के लयि:

लोकसभा, आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 343-351

मेन्स के लयि:

शास्त्रीय भाषाओं से संबंधति दशा-नरि्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शक्षिा मंत्री द्वारा **लोकसभा** में आठवीं अनुसूची में भाषाओं को बढ़ाने से संबंधति सरकार द्वारा उठाए गए वभिन्नि कदमों की जानकारी दी।

प्रमुख बदिु

आठवीं अनुसूची:

- **आठवीं अनुसूची के बारे में:**
  - इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधकिारकि भाषाओं को सूचीबद्ध कयि गया है। भारतीय संवधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामलि अनुच्छेद आधकिारकि भाषाओं से संबंधति हैं।
  - आठवीं अनुसूची से संबंधति संवैधानकि प्रावधान इस प्रकार हैं:
    - **अनुच्छेद 344:** अनुच्छेद 344(1) संवधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्तपिर राष्ट्रपतद्विारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
    - **अनुच्छेद 351:** यह हदिी भाषा को वकिसति करने के लयि इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकयिह भारत की मश्रिति संस्कृतकि सभी तत्त्वों के लयि अभवि्यक्तकि माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
  - हालाँकयिह ध्यान देने योग्य है कक्सिी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामलि करने के लयि कोई नश्चिति मानदंड नरि्धारति नहीं है।
- **आधकिारकि भाषाएँ:**
  - संवधान की आठवीं अनुसूची में नम्निलखिति 22 भाषाएँ शामलि हैं:
    - असमयिा, बांग्ला, गुजराती, हदिी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणपिुरी, मराठी, नेपाली, ओडयिा, पंजाबी, संस्कृत, सधिी, तमलि, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथलिी और डोगरी।
  - इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संवधान के प्रारंभ में ही शामलि कर लयिा गया था।
  - वर्ष 1967 में सधिी भाषा को 21वें सवधान संशोधन अधनियिम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामलि कयिा गया था।
  - वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधनियिम द्वारा कोंकणी, मणपिुरी और नेपाली को शामलि कयिा गया।
  - वर्ष 2003 में 92वें सवधान संशोधन अधनियिम जो कवि्र्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथलिी और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामलि कयिा गया।

शास्त्रीय भाषाएँ:

- **परचिय:**
  - वर्तमान में ऐसी छह भाषाएँ हैं जनि्हें भारत में 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त है:
    - तमलि (2004 में घोषति), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगू (2008), मलयालम (2013) और ओडयिा (2014)।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएँ संवधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- **दशा-नरि्देश:**
  - संस्कृतमिंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दशा-नरि्देश प्रदान करता है जो नीचे दयि गए हैं:
    - इसके प्रारंभकि ग्रंथों का इतहिास 1500-2000 वर्ष से अधकि पुराना हो।
    - प्राचीन साहति्य/ग्रंथों का एक हस्सिा हो जसि बोलने वाले लोगों की पीढ़यिों द्वारा एक मूल्यवान वरिासत माना जाता हो।

    - साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो।
    - शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न हैं, इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।
- **प्रचार का लाभ:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं-
    - भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिये दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण।
    - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
    - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के पेशेवर अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा करे।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eighth-schedule-of-the-indian-constitution